[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।304 बी, 498 ए और 120 बी-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 113 ख-दहेज मृत्यु-दहेज मृत्यु का अनुमान-तथ्यों पर, अपीलकर्ता-पति, सास और पीड़ित-पत्नी के बहनोई के खिलाफ शिकायत कि पीड़िता को दहेज के लिए बार-बार परेशान किया गया था और शादी के छह महीने के भीतर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई-पीड़ित अपने वैवाहिक घर से लापता हो गई और उसका शव बाद में 10 दिनों के बाद नदी में मिला-अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया गया और दोषसिद्धि गई।498 उच्च न्यायालय द्वारा ए, 304 बी और 120 बी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःएस. 304 बी आर/डब्ल्यूएस। 1131872 के अधिनियम के बी में यह स्पष्ट किया गया है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में सफल हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु के तुरंत बाद दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, तो उक्त व्यक्तियों के खिलाफ यह अनुमान लगाया जाएगा कि उन्होंने दहेज हत्या का कारण बनाया है जैसा कि विचाराधीन यू/एस।304 बी-अभियुक्त द्वारा मुकदमे के दौरान यह प्रदर्शित करने पर कि एस के सभी तत्व हैं, उक्त धारणा का खंडन किया जा सकता है।304 बी संतुष्ट नहीं हुए हैं-एस में वाक्यांश 'उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले'।304 बी, की व्याख्या निकटवर्ती के रूप में की जानी चाहिए और इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए लेकिन मृत्यु से तुरंत पहले के अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए-तथ्यों पर, एस के बुनियादी तत्व। 304 बी कि मृत्यु सामान्य नहीं थी और विवाह के 7 वर्षों के भीतर होने वाली मृत्यु ने यह भी साबित किया कि मृतक अपने वैवाहिक घर में रह रही थी और उन परिस्थितियों में गायब हो गई थी जहां एस के सभी तत्व थे।304 बी संतुष्ट था-अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही-पीड़ित के करीबी रिश्तेदार दहेज की मांग और पीड़ित-मृतक के लिए उत्पीड़न और क्रूरता के तथ्य की पुष्टि करते हैं-इसके अलावा, डॉक्टर की गवाही कि मृत्यु नदी में गिरने से पहले प्राप्त चोटों के कारण हुई थी-अपीलार्थीगण की विफलता उनके खिलाफ खींची गई धारणा का खंडन करने में विफल रही।113 बी, अपराध यू/एस के संबंध में।304 बी-हालांकि, यह साबित किया गया है कि माँ ए

जी.

एच.

1037

1038 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

मृतक के ससुर और जीजा एक अलग घर में रह रहे थे, और दहेज की मांग अनिवार्य रूप से केवल पति के लाभ के लिए थी, और कोई विशिष्ट सबूत अपीलार्थीगण द्वारा रची गई साजिश को दर्शाने के लिए नहीं था-इस प्रकार, सास और जीजा की दोषसिद्धि उचित नहीं थी और खारिज कर दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ित के पति के संबंध में दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया।

बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य **(2011) 11** एससीसी **359:[2011] 1** एससीआर **724;** माया देवी और अन्र**.** वी**.**की स्थिति

हरियाणा (2015) 17 एससीसी 405:[2015] 11 एससीआर 903;

जी**.** वी**.** सिद्धरमेश बनाम कर्नाटक राज्य **(2010) 3** एस**.** सी**.** सी**.**

152 :[2010] 2 एस. सी. आर. 380; अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 350:[2010] 7 एस. सी. आर. 1119-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 1 एससीआर **724**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2015] 11 एससीआर **903**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2010] 2 एससीआर **380**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2010] 7 एससीआर **1119**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2018 की आपराधिक अपील संख्या 383।

सरकार के नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.2017 के निर्णय और आदेश से। 2010 की अपील No.57।

रॉबिन आर. डेविड, धीरज अब्राहम फिलिप, फेबिन मैथ्यू वर्गीश, सैमुअल डेविड, अमित नेगी, सौरभ सचदेवा, आफताब अली खान, एड.अपीलार्थीगण के लिए।

जतिंदर कुमार भाटिया, कृष्णम मिश्रा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

हिमा कोहली**,** जे**.**

1. अपीलार्थीगण ने 14 सितंबर, 2017 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की सरकारी अपील में पारित फैसले पर हमला किया है, जिसके तहत 17 अप्रैल, 2010 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग द्वारा पारित फैसले में उन्हें बरी कर दिया गया है।

एच.

1039

डेवेंडर सिंह एंड ओआरएस. वी.उत्तरखंड राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 304 बी और 120 बी के तहत आरोपों को उलट दिया गया है और उन्हें सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000/- (दस हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और चूक में, आईपीसी की

धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलार्थीगण को आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत एक साल और आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। उक्त निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं।2. मामले की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी संख्या 1, अपीलार्थी संख्या 3 के पुत्र देवेंद्र सिंह, श्रीमती. कुंजा देवी और भवन सिंह की शादी मृतक सुशीला से हुई थी, शादी 20 अक्टूबर, 2007 को हुई थी।कहा जाता है कि सुशीला 24 अप्रैल, 2008 से अपने वैवाहिक घर से लापता हो गई थी। यह बात मृतक की मां को तब पता चली जब अपीलकर्ता संख्या 2, अपीलकर्ता संख्या 1 के भाई जगदीश सिंह ने 25 अप्रैल, 2008 को शाम 7 बजे उसे सूचित करने और यह पूछने के लिए फोन किया कि क्या सुशीला माता-पिता के घर गई थी।मृतक की माँ ने बदले में हरिद्वार में रहने वाले अपने बेटे, वादी को सूचित किया।अपने घर लौटने पर, वादी 28 अप्रैल, 2008 को मृतक के वैवाहिक घर गया।वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण द्वारा बार-बार दहेज की मांग की गई थी और जब वह उनसे मिलने गया था तो जिस तरह से उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था, उससे उसे संदेह हुआ कि उसकी बहन की अपीलार्थीगण द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन वे अज्ञानता का नाटक कर रहे थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि उसकी बहन लापता हो गई हो।

₹

3. शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान की और बाद में सुशीला का शव गंगा नदी में मिला।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शादी के लगभग छह महीने के भीतर एक अप्राकृतिक मौत हो गई थी और चूंकि दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता का आरोप था, इसलिए अपीलार्थीगण के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 304 बी और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपीलार्थीगण ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के समक्ष सत्र परीक्षण में मुकदमा चलाया गया।अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-14 के रूप में 14 गवाहों से पूछताछ की।आपराधिक की धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज करते समय अपनी भूमिका से इनकार करने के अलावा

जी.

1 संक्षेप में "आई. पी. सी".

प्रक्रिया संहिता, अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने अपने गवाहों के रूप में डी. डब्ल्यू.-1 से डी. डब्ल्यू.-3 की भी जांच की।साक्ष्य पर विचार करने पर, निचली अदालत ने अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए और 17 अप्रैल, 2010 के फैसले के माध्यम से उन सभी को बरी कर दिया।

4. 17 अप्रैल, 2010 के फैसले से व्यथित उत्तराखंड राज्य ने 2010 की सरकारी अपील No.57 के माध्यम से नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।पूरे साक्ष्य की पूरी तरह से समीक्षा करने और कानूनी सिद्धांतों को लागू करने पर, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है।नतीजतन, 2018 के सत्र मुकदमे में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 17 अप्रैल, 2010 के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया गया।अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए, 304 बी और 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है और सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) का जुर्माना देने और चूक में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी के तहत एक साल और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है। यह सजा 05 अक्टूबर, 2017 के एक अलग आदेश द्वारा दी गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के फैसले से व्यथित होने का दावा करते हुए, अपीलार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष हैं।

₹

5. श्री रॉबिन आर. डेविड, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर जोर देते हुए हमें अभिलेखों के माध्यम से लिया है।यह उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय ने मृतक से संबंधित गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने में देरी करने में अपीलार्थीगण के आचरण पर ध्यान देने के लिए खुद को गलत दिशा में निर्देशित करके एक त्रुटि की है।उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय एक विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि इस तथ्य पर ध्यान देने के बावजूद कि

अपीलकर्ता संख्या 1 ने 26 अप्रैल, 2008 को गाँव के पटवाड़ी को टेलीफोन पर सूचित किया था और अपीलकर्ता संख्या 2 ने मृतक की माँ को सूचित किया था कि वह 24 अप्रैल, 2008 से ही वैवाहिक घर से लापता हो गया था, घटना के 48 घंटे से अधिक समय बाद शिकायत दर्ज की गई थी।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से इस तरह की धारणा से गलत निष्कर्ष निकला है।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है कि अपीलार्थीगण अपर्याप्त दहेज लाने के लिए मृतक को परेशान कर रहे थे।उन्होंने बताया कि मृतक की मां (पीडब्लू-1) ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मृतक केवल अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए माता-पिता के घर में रह रही थी।

जी.

एच.

1041

डेवेंडर सिंह एंड ओआरएस. वी.उत्तरखंड राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

ए.

इसलिए, जैसा कि कहा गया है, दहेज की मांग का दावा अस्वीकार्य है।उन्होंने आगे बताया कि डी. डब्ल्यू.-3, जिसकी उपस्थिति में विवाह वार्ता आयोजित की गई थी, ने अपने साक्ष्य में कहा था कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और विवाह का खर्च भी दोनों पक्षों के बीच साझा किया गया था।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा मृतक के नाम पर एक बैंक खाता खोलने का तथ्य जिसमें वह वैकल्पिक दिनों में 100/- (एक सौ रुपये) की राशि जमा कर रहा था, यह दर्शाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा उस पर कोई मौद्रिक मांग करने का कोई कारण नहीं था।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सुशीला की मृत्यु के कारण से संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने में गलती की है।उन्होंने पीडब्लू-10 के बयान की ओर इशारा किया, वह डॉक्टर जिसने संकेत दिया था कि मौत का कारण सदमे और लगी चोटों से प्राप्त रक्त प्रवाह था और राय दी थी कि अगर कोई व्यक्ति खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है तो ऐसी चोटें हो सकती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया न्यायिक नोटिस कि ग्रामीण चारा और ईंधन की लकड़ी लाने के लिए समूहों में जंगल में जाएंगे, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुचित कहा गया है, इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है।यह तर्क दिया गया था कि विचारण न्यायालय ने वास्तव में अपने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य पर ध्यान दिया था और एक वैध निष्कर्ष पर पहुंचा था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा

और अधिक बाधित नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा करने का कोई मजबूत आधार नहीं था।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि अपील की अनुमति दी जाए और विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री जतिंदर कुमार भाटिया उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को बनाए रखने की कोशिश करेंगे।यह उनका तर्क था कि निचली अदालत ने वास्तव में सबूतों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था जैसे कि वह एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जहां आरोप भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत हत्या करने के लिए बनाया गया था, जबकि, तत्काल मामले में, अपीलार्थीगण के खिलाफ लगाए गए आरोप भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी और 498 ए के साथ "दहेज मृत्यु" के संबंध में धारा 120 बी के तहत थे।उक्त प्रावधान स्वयं अभियुक्त के खिलाफ कुछ अनुमान लगाता है।ऐसे मामले में जहां अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के कुछ महीनों के भीतर हुई थी, जब वह वैवाहिक गृह में रह रही थी और ऐसी मृत्यु एक अप्राकृतिक है, अपीलार्थीगण को यह समझाना था कि किस परिस्थिति में मृत्यु हुई थी, जब प्रथम दृष्टया, अभियोजन पक्ष धारा के मूल तत्वों को साबित करने में सफल रहा था।उस प्रकाश में, यह चाहा गया था

आग्रह किया जाए कि निचली अदालत ने वास्तव में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय को एक अपील का निर्णय करते समय उन साक्ष्यों की फिर से सराहना करने की आवश्यकता थी जो प्रत्येक गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख करके सावधानीपूर्वक किए गए हैं।विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानूनी स्थिति के संदर्भ में रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में उल्लिखित किया गया था, जिन पर ध्यान दिया गया

था, उच्च न्यायालय एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा है और उसने निचली अदालत के फैसले को गलत पाया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे दरकिनार कर दिया गया है।

8. प्रतिद्वंद्वी दलीलों और अपीलार्थीगण के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आलोक में और मामले को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी में निहित प्रावधान पर ध्यान देना आवश्यक माना जाता है जो निम्नानुसार हैः-

" 304B. दहेज मृत्यु।—(1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 [1961 का 28] की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।"

9. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अपराध के साबित किए जाने के लिए आवश्यक मुख्य तत्व हैंः-

((i) मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक को दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था;

जी.

((ii) मृतक की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुई थी जो सामान्य नहीं थी; (iii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी की तारीख से 7 साल के भीतर हुई है;

एच.

((iv) कि पीड़ित को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था;

(v) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए; और

(vi) यह साबित किया जाना चाहिए कि इस तरह की क्रूरता और उत्पीड़न उसकी मृत्यु से तुरंत पहले किया गया था।

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी में दहेज मृत्यु से संबंधित अनुमान पर विचार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

" 113 बी. दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान-जब सवाल है

चाहे किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की हो और यह दिखाया गया हो कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या का कारण बना था।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304 बी में है।"

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी यह स्पष्ट करती है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में सफल हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु के तुरंत बाद दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है, तो उक्त व्यक्तियों के खिलाफ यह अनुमान लगाया जाएगा कि उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का कारण बना है। उक्त धारणा एक शर्त के साथ आती है क्योंकि इस धारणा का खंडन अभियुक्त द्वारा मुकदमे के दौरान यह प्रदर्शित करने पर किया जा सकता है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के सभी अवयवों को लागू नहीं किया गया है।

संतुष्ट।**[**संदर्भः**बंसी** लाल बनाम। हरियाणा राज्य **2,** माया देवी और अन्र बनाम।हरियाणा राज्य **3,** जी**.** वी**.** सिद्धरमेश बनाम कर्नाटक राज्य **4** और अशोक कुमार बनाम। हरियाणा राज्य **5]**।

जी.

2 (2011) 11 एससीसी 359 3 (2015) 17 एससीसी 405 4 (2010) 3 एससीसी 152 5 (2010) 12 एससीसी 350

एच.

12. प्रासंगिक प्रावधान और उसके अवयवों पर ध्यान देने के बाद, तत्काल मामले के तथ्यों से पता चलेगा कि मृतक और अपीलार्थी संख्या 1 की शादी 20 अक्टूबर, 2007 को हुई थी। अपीलार्थी नं. 1 की पत्नी सुशीला 24 अप्रैल, 2008 से वैवाहिक गृह से लापता हो गई थी और उसका शव 10 वें दिन नरगासु के पास अलखनंदा नदी से निकाला गया था।ऊपर उल्लिखित बुनियादी तथ्यों से, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के मूल तत्व जैसे कि मृत्यु सामान्य नहीं है और ऐसी मृत्यु उसकी शादी की तारीख से 7 साल के भीतर हुई है, पूरी तरह से साबित हो जाएगी।इसलिए, सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दहेज की मांग और ऐसी मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के शेष घटकों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा, क्या मृतक को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले इस तरह की क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था ताकि दहेज मृत्यु का गठन किया जा सके।जहाँ तक 'उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले' वाक्यांश का संबंध है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इसकी व्याख्या निकटवर्ती के रूप में की जानी चाहिए और इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए लेकिन इसका अर्थ मृत्यु से तुरंत पहले नहीं समझा जाना चाहिए।

13. साक्ष्य और मामले के अन्य पहलुओं पर ध्यान देते समय, तत्काल मामले में जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि जो मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी, वह शादी की तारीख से लगभग 6 महीने के भीतर हुई थी।उस संदर्भ में, श्रीमती के साक्ष्य का अवलोकन। थापा देवी (पीडब्लू-1), मृतक की माँ को महत्व प्राप्त होता है।उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब मृतक पहली बार अपने ससुराल से घर आया था, तो उसने कहा था कि उसके ससुराल वाले और पति दहेज की मांग कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे।मांग की प्रकृति को यह कहने के लिए भी निर्दिष्ट किया गया था कि वे दहेज के रूप में 2,00,000- (दो लाख रुपये) के भुगतान की मांग कर रहे थे और वैकल्पिक रूप से, हरिद्वार में एक घर

बनाने के लिए।पीडब्लू-1 ने आगे कहा कि 10 अप्रैल, 2008 को जब वह अपनी बेटी के घर गई थी, तो अपीलार्थीगण ने उस समय उसके साथ झगड़ा किया था और उसके सामने 1 <आईडी1-(दो लाख रुपये) या हरिद्वार में उनके लिए एक घर बनाने की मांग की थी। हालाँकि वह 11 अप्रैल, 2008 को अपनी बेटी को पीछे छोड़कर वापस आ गईं।इसके 2-4 दिनों के भीतर, कहा जाता है कि मृतक ने पीडब्लू-1 को फोन किया जो दर्शाता है कि वह परेशान थी क्योंकि अपीलार्थीगण उसे बुरी तरह से परेशान कर रहे थे और उसे पीट भी रहे थे।पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने अपने बहनोई श्री राजेंद्र सिंह को इस बात से अवगत कराया था और इस तरह की मांग के बारे में उन्हें बताया था।

₹

जी.

एच.

1045

डेवेंडर सिंह एंड ओआरएस. वी.उत्तरखंड राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

और मृतक को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।उसके बहनोई ने उसे आश्वासन दिया था कि वह दो-तीन दिनों के बाद आएगा और मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा।

14. जब यह स्थिति थी, 25 अप्रैल, 2008 को पीडब्लू-1 को उसके दामाद (अपीलकर्ता संख्या 1) के भाई अपीलकर्ता संख्या 2 का फोन आया, जिसने पूछा था कि क्या मृतक अपने माता-पिता के घर आया था क्योंकि वह वैवाहिक घर से लापता थी।इसके बाद पीडब्लू-1 ने अपने बेटों को सूचित किया, जो हरिद्वार से आए थे और उसके बाद ससुराल चले गए।यह निर्विवाद है कि 10 दिनों के बाद शव का पता चला था।पीडब्लू-1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में अस्वीकृत नहीं किया गया था।पीडब्लू-1 को यह सुझाव दिया गया था कि मृतक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शादी के बाद लगभग 10-11 दिनों के भीतर अधिकांश समय माता-पिता के घर में रह रहा था और उक्त सुझाव यह इंगित करने के लिए दिया गया था कि दहेज की मांग की कोई गुंजाइश नहीं थी।हालाँकि, यह पीडब्लू-1 द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसने कहा था कि हालाँकि ऐसा था, मृतक अगले ही दिन वैवाहिक घर वापस चला गया था जब उसकी अंतर-परीक्षा समाप्त हो गई थी।आगे के सुझाव में कहा गया कि अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 अपीलार्थी संख्या 1 से दूर एक अलग घर में रह रहे थे, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया।

15. उपरोक्त साक्ष्य के अलावा, उच्च न्यायालय ने मृतक के भाई सुखबीर सिंह (पीडब्लू-2) के साक्ष्य को नोट किया है, जिन्होंने मृतक की मां (पीडब्लू-1) के बयान की पुष्टि की है।वास्तव में, पीडब्लू-2 ने मृतक द्वारा 24 अप्रैल, 2008 की सुबह फोन करने और उन्हें सूचित करने के संबंध में भी बताया है कि वह गर्भवती थी और उसके पेट में दर्द था और जब उसने अपने पति को दवा और ब्लाउज का टुकड़ा लाने के लिए कहा, तो उसे यह कहकर पीटा गया कि उसे अपने माता-पिता से लेना चाहिए।श्रीमती का साक्ष्य। मीरा भंडारी (पीडब्लू-3), मृतक की साली और श्री. मृतक के भाई ताजवर सिंह (पीडब्लू-4) पर भी उच्च न्यायालय ने उचित विस्तार से ध्यान दिया, जिसमें पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 द्वारा वर्णित घटनाओं के क्रम की उनके द्वारा पुष्टि की गई।इसके अलावा, एस. ऋषिपाल सिंह (पीडब्लू-5) और श्री. मृतक के चाचा राजेंद्र सिंह (पीडब्लू-7) ने भी घटना के संबंध में गवाही दी थी और उन्हें दहेज की मांग और मृतक के उत्पीड़न के बारे में बताया गया था।एस. गाँव के प्रधान विजयपाल सिंह (पीडब्लू-8) ने कहा कि उन्हें पता था कि मृतक 24 अप्रैल, 2008 को लापता हो गया था और वे बाद में उसकी तलाश कर रहे थे।उन्होंने उस स्थान का भी दौरा किया था जहां से शव बरामद किया गया था।

16. हालाँकि, अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पटवारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया था। जगदीश प्रसाद गैरोला (पीडब्लू -9) जो पटवाड़ी था, ने कहा कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने उसे केवल 26 अप्रैल, 2008 को टेलीफोन पर सूचित किया था कि उसकी पत्नी लापता हो गई थी, जिसे उसने जी. डी. में दर्ज किया था। उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित शिकायत करने में कोई देरी नहीं करने के संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, अन्य संबंधित पहलुओं के आलोक में महत्व खो देता है।

17. यद्यपि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत शेष गवाहों के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दहेज और उत्पीड़न की मांग को

स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य को साक्ष्य से नोट किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है, यह स्पष्ट होगा कि भले ही अपीलार्थीगण ने आग्रह करने की मांग की है कि विवाह तय करने के समय, कोई दहेज का आदान-प्रदान या मांग नहीं की गई थी और शादी के खर्च भी दोनों पक्षों द्वारा साझा किए गए थे, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 की स्पष्ट मौखिक गवाही जो अडिग रही, यह इंगित करेगी कि शादी के तुरंत बाद, जब मृतक पहली बार अपने माता-पिता के घर आया था, उसने दहेज की मांग के बारे में कहा था और मांग निर्दिष्ट की थी, अर्थात।हालांकि तथ्य यह है कि वह वैवाहिक घर से लापता हो गई थी और शव वैवाहिक घर के आसपास नदी से बरामद किया गया था।इस संबंध में, उन गवाहों की गवाही के अलावा, जिन्होंने यह बयान दिया कि मृतक ने उन्हें अपने माता-पिता के घर की पहली यात्रा के दौरान दहेज की मांग और उत्पीड़न के बारे में बताया था, पीडब्लू-1 ने 10 अप्रैल, 2008 को हुई घटना का उल्लेख किया, जब वह खुद अपनी बेटी के साथ उसे छोड़ने ससुराल गई थी और उन सभी ने उसी शर्त पर दहेज से संबंधित पहलू पर उससे झगड़ा किया था, यानी 1 2,00,000-(दो लाख रुपये) की मांग या हरिद्वार में एक घर बनाने के लिए। इसके बाद वह 11 अप्रैल, 2008 को लौटी थी, जो मृतक के लापता होने की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले था।इसके अलावा, पीडब्लू-1 ने यह भी कहा है कि 11 अप्रैल, 2008 से 2 से 4 दिनों के भीतर, उसके लौटने के बाद, मृतक ने एक फोन कॉल किया था और वह बहुत परेशान था।

₹

जी.

एच.

1047

डेवेंडर सिंह एंड ओआरएस. वी.उत्तरखंड राज्य [हिमा कोहली, जे.] ए.

क्योंकि उसे बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था और पीटा जा रहा था।उन्होंने इसे अपने बहनोई श्री के साथ साझा किया था। राजेंद्र सिंह, जिनका पी. डब्ल्यू.-7 के रूप में परीक्षण किया गया है।इसके अलावा, पीडब्लू-2 ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 24 अप्रैल, 2008 की सुबह मृतक द्वारा फोन पर की गई शिकायत के संबंध में भी बयान दिया कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया था, जब वह गर्भवती थी, तो उसने अपने पेट में दर्द के लिए दवा मांगी थी।

18. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, भले ही साक्ष्य में, श्रीमती। माया देवी (डी. डब्ल्यू.-3), जो विवाह को अंतिम रूप देने के लिए मध्यस्थ थीं, ने कहा था कि उस समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी, इसका कोई परिणाम नहीं है क्योंकि जो प्रासंगिक है वह मांग है जो विवाह के बाद की गई थी और घटना से कुछ समय पहले की गई थी, जिसमें उक्त गवाह किसी भी मामले में गोपनीय नहीं था।

19. इसके अलावा, एस का साक्ष्य। राकेश बिष्ट (डी. डब्ल्यू.-1) इस प्रभाव से कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतक के नाम पर एक बैंक खाता खोला था और 7 दिसंबर, 2007 से उक्त खाते में हर दूसरे दिन 100/- (एक सौ रुपये) जमा कर रहा था, स्थिति को बदल नहीं सकता है क्योंकि किसी भी स्थिति में, पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा पी. डब्ल्यू.-4 को संदर्भित दहेज मांग की विशिष्ट प्रकृति को दूर नहीं कर सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा किया गया था। श्री प्रेम सिंह (डी. डब्ल्यू.-2) के साक्ष्य में कहा गया है कि जब वह 24 मई, 2008 को एक बस में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने लाल कपड़े पहने एक लड़की को चट्टान से गिरते हुए देखा था।

₹

20. विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना की है।यद्यपि विचारण न्यायालय ने भी उसी साक्ष्य का उल्लेख किया और निर्णय के पैरा 27 से शुरू किए गए विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि फाइल पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि मृतक सुशीला की हत्या की गई थी, यह खुलासा करेगी कि विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी और 498 ए की आवश्यकताओं और भारतीय दण्ड संहिता सी. की सामग्री को ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण और सराहना करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोप का आकलन करने के चश्मे से साक्ष्य की सराहना कर रहा था।

जी.

21. उपरोक्त पृष्ठभूमि में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक वैवाहिक घर में रह रहा था और लापता हो गया था।

एच.

जिन परिस्थितियों में धारा 304 बी के सभी तत्व संतुष्ट हुए, डॉ. दिग्विजय सिंह (पीडब्लू-10) का साक्ष्य प्रासंगिक हो जाता है।पोस्टमॉर्टम के समय मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों की प्रकृति की पुष्टि की गई थी और पीडब्लू-10 ने बयान दिया है कि मृत्यु जांच से लगभग एक सप्ताह पहले हुई थी।उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले लगी चोटों से सदमे और रक्त प्रवाह के कारण मृत्यु हुई थी।डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि मौत का कारण डूबना नहीं था क्योंकि फेफड़ों और पेट के अंदर पानी नहीं था।यद्यपि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस पहलू का उल्लेख यह तर्क देने के लिए किया कि उच्च न्यायालय ने इस पर ठीक से विचार नहीं करने में गलती की है, हमारी राय में, जब यह संकेत दिया जाता है कि मृतक को उसकी मृत्यु से पहले चोटें लगी थीं और खून बह गया था और जब यह भी चिकित्सकीय रूप से संकेत दिया जाता है कि मृत्यु डूबने के कारण नहीं हुई थी क्योंकि उसके फेफड़ों और पेट में पानी नहीं था, तो स्वाभाविक परिणाम और एक उचित निष्कर्ष यह होगा कि उक्त मृत्यु नदी में गिरने से पहले ही हुई थी, जो किसी भी आकस्मिक गिरावट को खारिज कर देगा, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा दावा किया गया था।वास्तव में, इससे केवल स्थिति को समझाने के लिए अपीलार्थीगण पर बोझ बढ़ेगा।22. हालाँकि, अपीलार्थीगण ने एक कहानी स्थापित करने का प्रयास किया है कि मृतक घास काटने के लिए पहाड़ियों पर गया था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, वह अकेली नहीं जा सकती थी।जो भी हो, एक गंजे बयान के अलावा, अपीलार्थीगण ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई है कि मृतक के लिए घास काटने के लिए पहाड़ों पर जाना एक सामान्य प्रथा थी, इसलिए उन परिस्थितियों में जहां वह अपने वैवाहिक घर में छह महीने से कम थी, गर्भवती थी और उसी अवधि के दौरान, वह अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अपने माता-पिता के घर जा रही थी, जैसा कि अपीलार्थीगण ने स्वयं तर्क दिया है।इसलिए, ऐसी स्थिति में, हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थीगण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के तहत अपराध से संबंधित मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उनके खिलाफ की गई धारणा का खंडन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

23. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 को भी अपीलार्थीगण संख्या 1 के

समान ही दोषी ठहराया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि मृतक ने उसे सूचित किया था कि पति और ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और जब पीडब्लू-1 10 अप्रैल, 2008 को अपनी बेटी को वापस वैवाहिक घर में छोड़ने गया था, तो ससुराल वालों ने दहेज ए उठाया था।

जी.

एच.

1049

डेवेंडर सिंह एंड ओआरएस. वी.उत्तरखंड राज्य [हिमा कोहली, जे.]

माँगें।हालाँकि, जो रिकॉर्ड में लाया गया है वह यह है कि अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 अलग-अलग, एक अलग घर में रह रहे थे।पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा में उन्हें दोनों घरों के बीच की दूरी के बारे में सुझाव दिया गया था।इसके अलावा, तथ्य यह है कि निचली अदालत ने फैसले के पैरा 31 में इस पहलू का भी उल्लेख किया, जहां बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत के ध्यान में लाया था कि दो राशन कार्ड थे और अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 का राशन कार्ड अपीलार्थीगण संख्या 1 के राशन कार्ड से अलग है, जिसमें उसके और मृतक के नाम का उल्लेख है।इसके अलावा, की गई मांग की प्रकृति 2,00,000-(दो लाख रुपये) की एकमुश्त राशि या हरिद्वार में एक घर बनाने के लिए थी, जिनमें से कोई भी अनिवार्य रूप से अपीलार्थी संख्या 1 के लाभ के लिए था।इसलिए, दहेज की मांग के संबंध में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है और न ही अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 को सामान्य दावे के अलावा क्रूरता और उत्पीड़न का कोई विशिष्ट उदाहरण दिया गया है।इसके अलावा, ऐसी परिस्थिति में जहां आरोप भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी के तहत भी था, अपीलार्थीगण द्वारा कथित रूप से रची गई साजिश से संबंधित अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कोई विशिष्ट सबूत नहीं है।उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी राय है कि अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और उनकी दोषसिद्धि उचित नहीं होगी।

₹

24. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 (मृतक के पति) को दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया है।हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 को दी गई दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया है।सरकारी अपील No.57/2010 में पारित 14 सितंबर, 2017 के फैसले को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 और 3, जिन्हें 12 मार्च,

2008 को जमानत पर रिहा किया गया था, उन्हें रिहा कर दिया जाए।तदनुसार, अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 द्वारा निष्पादित जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।हालाँकि, अपीलार्थी संख्या 1 दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करेगा और उस पर लगाए गए दंड के शेष भाग की सजा काट लेगा।

25. उपरोक्त शर्तों पर अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।26. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

जी.

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एच.